एपीएनआईसी 47 में समुदाय द्वारा चर्चा के लिए पाँच नीति प्रस्ताव

एपीएनआईसी 47 में खुली नीति बैठक 27 फरवरी 2019 को डायजन, दक्षिण कोरिया में आयोजित की जाएगी और इसमें पाँच नीतिगत प्रस्ताव चर्चा के लिए खुले रहेंगे। यहाँ इन पाँच प्रस्तावों को संक्षेप में दिया गया है।

एपीएनआईसी 46 से चर्चा के तहत

प्रॉप-124-v005: आईपीवी 6 उप-एसाइनमेंट का स्पष्टीकरण

एपीएनआईसी इंटरनेट सँख्या संसाधन नीतियाँ दस्तावेज़ के खण्ड 2.2.3 के तहत आईपीवी6 आवंटनों के लिए नियोजित की गई एड्रेस स्पेसेज़ की परिभाषा को स्पष्ट करता है।

जब नीति का मसौदा तैयार किया गया था, तो एसाइनमेंट/उप-एसाइनमेंट की अवधारणा में हॉटस्पॉट्स में आईपी पतों के उपयोग, या आगंतुकों या कर्मियों द्वारा आईपी पतों के उपयोग के लिए अपने स्वयं के उपकरण लाएँ (बीवाईओडी) [Bring Your Own Device (BYOD)] और इसके जैसे कई अन्य मामलों पर विचार नहीं किया गया था।

इस संबंध में यह प्रस्ताव इस स्थिति को स्पष्ट करता है और इसे आईपीवी6 (आरएफसी 8273) की अवधारणा के लिए और अधिक प्रासंगिक बनाता है, जिसमें एसाइनमेंट की परिभाषा में अतिरिक्त भाषा जोड़ी गई है।

प्रॉप-126-v003: पीडीपी अपडेट

एपीएनआईसी नीति विकास प्रक्रिया दस्तावेज़ के खण्ड 4 में अपडेट प्रस्तावित करता है।

यह प्रस्ताव सर्वसम्मति के निर्धारण के लिए सूचीबद्ध टिप्पणियों पर सोच-विचार के माध्यम से प्रतिभाग में संभावित बढ़ोत्तरी करेगा। इसलिए, मेलिंग सूची और फोरम में संतुलित चर्चाओं के माध्यम से सर्वसम्मति का निर्धारण किया जाएगा, जिससे समुदाय के प्रतिभाग में बढ़ोत्तरी होगी।

इसमें निम्नलिखित के लिए भी सुझाव दिए गए हैं:

- एसआईजी नीति और एपीएनआईसी सदस्य बैठक में आवश्यक 'दोहरी' सर्वसम्मति को हटाया जाए।
- सर्वसम्मति की परिभाषा को 'सामान्य सर्वसम्मति' ('general consensus') से 'प्रमुख सर्वसम्मति' ('rough consensus') में संशोधित किया जाए।
- यदि ओपीएम में प्रस्तावों पर सर्वसम्मति प्राप्त हो सके, तो इसे एसआईजी मेलिंग सूची में भेजा जाए।
- यदि कोई नया संस्करण जमा न किया जाए, तो पुराने प्रस्तावों की स्वत: समाप्ति को लागू किया जाए।
- यदि प्रस्तुतकर्ता की राय में एसआईजी अध्यक्षों ने पीडीपी का उल्लंघन किया है, तो एपीएनआईसी कार्यकारी परिषद के समक्ष एक प्रत्यक्ष 'अपील' प्रक्रिया शुरू की जाए ।

नए प्रस्ताव

प्रॉप-127: 103/8 आईपीवी4 एड्रेस पूल के अधिकतम डेलिगेशन परिमाण को /23 में परिवर्तित करना

पिछले एपीएनआईसी आईपीवी4 ब्लॉक, 103/8, का वर्तमान डेलिगेशन परिमाण /22 है। इस प्रस्ताव का लक्ष्य इस अधिकतम डेलिगेशन परिमाण को घटाकर /23 करना है। इसके पीछे उद्देश्य हैं कि आईपीवी4 एड्रेसेज़ को नए लोगों के लिए सहेकर रखा जाए, 103/8 एड्रेस स्पेस समाप्त होने की अवधि बढ़ाई जाए, और आईपीवी6 को लागू करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

न्यूनतम डेलिगेशन परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जोकि /24 है।

प्रॉप-128: एएसएन के लिए मल्टीहोमिंग की आवश्यकता हटाना

जब एएसएन एसाइनमेंट नीति को मूल रूप से प्रस्तावित किया गया था, तो उस समय नेटवर्कों की विश्वसनीयता आज के जैसी अच्छी नहीं थी। उस समय यह सुनिश्चित करना उचित था कि एएसएन-धारक मल्टीहोम्ड हो। नेटवर्क इंटरकनेक्शन्स में नए-नए विकास होने के कारण अब इसे मल्टीहोम्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रस्ताव भविष्य में दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टमों के साथ इंटरकनेक्ट किए जाने की आवश्यकता के लिए इसे मल्टीहोम में परिवर्तित कर रहा है।

प्रॉप-129: जो आईपीवी4 निवेदन पूरे न हो पाए हों, उनके लिए प्रतीक्षा सूची समाप्त करना

वर्तमान एपीएनआईसी आईपीवी4 नीति प्रत्येक एपीएनआईसी खाता-धारक को अंतिम /8 पूल (103/8) से /22 प्राप्त करने के बाद आईपीवी4 रिकवर्ड पूल से /22 प्राप्त करने की अनुमति देती है। परंतु रिकवर्ड पूल में डेलिगेशन के लिए हमेशा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, इसलिए एक प्रतीक्षा सूची बनाई गई थी।

यह प्रस्ताव वर्तमान प्रतीक्षा सूची को समाप्त किए जाने का सुझाव देता है। जब समाप्त या रिटर्न करने, आदि से एपीएनआईसी को आईएएनए से रिकवर्ड आईपीवी4 एड्रेस स्पेस प्राप्त हो जाता है, तो इसके साथ अंतिम /8 (103/8) के समान नीति के तहत ही व्यवहार किया जाना चाहिए।

यह प्रस्ताव अंतिम /8 में एपीएनआईसी के संसाधन समाप्त हो जाने पर एक प्रतीक्षा सूची बनाने का सुझाव भी देता है, और इस प्रतीक्षा सूची में वही अंतिम /8 आवंटन नीति अपनाई जानी चाहिए।

भाग लें! अपनी बात सामने रखें

यदि आप इन नीति प्रस्तावों के बारे में चर्चाओं में भाग लेना चाहते/चाहती हैं, तो नीति एसआईजी मेलिंग सूची के सदस्य बनें और एपीएनआईसी 47 नीति एसआईजी बैठक में व्यक्तिगत अथवा दूरस्थ रूप से भाग लें।